2010:CGHC:43

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक – 3221 / 2006

याचिकाकर्ता : भगवानदास मनिकपुरी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

तथा

डब्ल्यूपी क्रमांक 3277, 3398, 3611, 6125, 6126, 6127, 6128, 6129, 6130, 6131, 6426, 6427 एवं 6428 वर्ष 2006 तथा डब्ल्यूपी(एस) क्रमांक 2959, 2960, 2961 एवं 2975 वर्ष 2007

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश हेतु दिनांक 20 जनवरी, 2010 को सूचीबद्ध करें।

हस्ताक्षरित/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

2010:CGHC:43

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक – 3221 / 2006

याचिकाकर्ता : **भगवानदास मनिकपुरी**

बनाम

उत्तरवादीगण : **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

तथा

डब्ल्यूपी क्रमांक 3277, 3398, 3611, 6125, 6126, 6127, 6128, 6129, 6130, 6131, 6426, 6427 एवं 6428 वर्ष 2006 तथा डब्ल्यूपी(एस) क्रमांक 2959, 2960, 2961 एवं 2975 वर्ष 2007

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिकाएँ)

एकलपीठ : माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

उपस्तिथि : श्री अशोक स्वर्णकार, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता।

श्री वाय.एस. ठाकुर, उप महाधिवक्ता, राज्य की ओर से I

आदेश

(20.01.2010)

माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

1. चूँकि रिट याचिकाएँ क्रमांक 3221, 3277, 3398, 3611, 6125, 6126, 6127, 6128, 6129, 6130, 6131, 6426, 6427 एवं 6428/2006 तथा W.P.(S) Nos. 2959, 2960, 2961 एवं 2975/2007 में एक समान विधिक प्रश्न निहित है — की क्या याचिकाकर्ता *मध्यप्रदेश कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों वेतन पुनरीक्षण नियम 1998* (संक्षेप में "नियम, 1998") के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान पाने के अधिकारी हैं या नहीं। चूँकि इन याचिकाओं के तथ्य भी समान हैं, अतः इन सभी याचिकाओं का निराकरण इस समान आदेश द्वारा एक साथ किया जा रहा है।

2. संक्षेप में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत तथ्य इस प्रकार हैं कि — याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति क्रमशः रसोइया, पानीवाला, रसोइया, पानीवाला, पानीवाला, पानीवाला, पानीवाला, रसोइया, रसोइया, चौकीदार, पानीवाला, रसोइया, पानीवाला, रसोइया, पानीवाला, रसोइया, पानीवाला एवं चौकीदार के रूप में कलेक्टर, बिलासपुर द्वारा विभिन्न छात्रावासों/संस्थानों में की गई थी। प्रारंभ में उनकी नियुक्ति 89 दिनों की अवधि के लिए मासिक वेतन पर की गई थी, जो बाद में निरंतर जारी रही और वर्तमान में भी वे अस्वीकार निधि से मासिक वेतन पर कार्यरत हैं। दिनांक 17-07-1990 के आदेश (अनुलंग्नक - पी/2, डब्ल्यूपी क्रमांक 3221/2006) द्वारा याचिकाकर्ताओं की सेवाएँ आकस्मिकता वेतनभोगी कर्मचारियों के रूप में नियमित की गईं। उन्हें चतुर्थ वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया, परंतु पांचवे वेतनमान का लाभ, यद्यपि राज्य शासन द्वारा स्वीकृत एवं *मध्यप्रदेश* कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 (संक्षेप में "नियम, 1998") के तहत अधिसूचित किया गया था, फिर भी याचिकाकर्ताओं को नहीं दिया गया। इसी प्रकार के अन्य कर्मचारी जैसे कि — श्री भोला राम अनंत,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पानीवाला, अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, नवां, पंडरिया, जिला कवर्धा तथा सहायक आयुक्त, जनजातीय विकास, बिलासपुर के कार्यालय में पदस्थ श्री जलदास, श्री गौरीशंकर दुबे एवं अन्य, जिनकी नियुक्ति 31-12-1988 के बाद की गई थी, उन्हें पांचवे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है। जबकि याचिकाकर्ताओं को उक्त लाभ से वंचित रखा गया है। इस परिस्थिति में, याचिकाकर्ताओं द्वारा वर्तमान याचिकाएँ प्रस्तुत की गई हैं।

3. श्री स्वर्णकार, याचिकाकर्ताओं के पक्ष में उपस्थित अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया कि तत्कालीन मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के सचिव द्वारा दिनांक 26-06-1998 (अनुलंग्नक - पी/7, डब्ल्यूपी क्रमांक 3221/2006) को एक परिपत्र जारी किया गया था, जिसके द्वारा "नियम, 1998" के प्रावधानों के अनुरूप 01-01-1996 से पुनरीक्षित वेतनमान प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। यद्यपि उक्त परिपत्र राज्यपाल के नाम से जारी किया गया था, तथापि आज तक याचिकाकर्ताओं को 01-01-1996 से पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ प्रदान करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। अतः याचिकाकर्ता "कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों वेतन पुनरीक्षण नियम 1998" तथा दिनांक 26-06-1998 के परिपत्र के आलोक में पांचवे वेतनमान (Fifth Pay Scale) के लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ताओं में से कुछ ने पूर्व में अपनी शिकायतों के निवारण हेतु इस माननीय न्यायालय की शरण ली थी। डब्ल्यूपी क्रमांक 123 of 2006 (**भगवानदास माणिकपुरी बनाम राज्य छत्तीसगढ़ एवं अन्य)** में, इस न्यायालय की समकक्ष पीठ ने दिनांक 12-01-

2006 (अनुलंग्नक - पी/10, डब्ल्यूपी क्रमांक 3221/2006) के आदेश द्वारा उक्त याचिका का निराकरण करते हुए याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता प्रदान की थी कि वह अभ्यावेदन संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सके। साथ ही यह निर्देश भी दिया गया था कि यदि ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो उत्तरवादीगण का सक्षम प्राधिकारी उक्त अभ्यावेदन का उसकी गुणदोष कि आधार पर यथाशीघ्र विचार कर निर्णय ले, अधिमानतः अभ्यावेदन प्राप्ति की तिथि से तीन माह के भीतर। उक्त आदेश के पालन में, भगवानदास माणिकपुरी ने दिनांक 25-01-2006 को सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण, बिलासपुर के समक्ष अभ्यावेदन (अनुलंग्नक - पी/11) प्रस्तुत किया। तथापि, उक्त अभ्यावेदन को दिनांक 19-05-2006 (अनुलंग्नक - पी/12) के आदेश द्वारा यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि भगवानदास नियमितीकरण हेतु पात्र नहीं पाया गया तथा परिणामस्वरूप 31-12-1988 के पश्चात् नियुक्ति होने के कारण उसे पांचवे वेतनमान का लाभ प्रदान नहीं किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. दूसरी ओर, राज्य की ओर से प्रस्तुत होते हुए श्री ठाकुर, माननीय उप महाधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति 31-12-1988 के बाद की गई थी, अतः दिनांक 22-11-1988 के परिपत्र (परिशिष्ट–R/1) के आलोक में, याचिकाकर्ता पुनरीक्षित वेतनमान के लाभ के पात्र नहीं हैं। श्री ठाकुर ने आगे यह भी तर्क किया कि याचिकाकर्ता चतुर्थ वेतनमान के भी पात्र नहीं थे, किंतु उन्हें यह लाभ त्रुटिवश प्रदान कर दिया गया। साथ ही यह भी अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया कि श्री जालदास एवं श्री गौरीशंकर दुबे को पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ मुद्रण त्रुटि के कारण दिया गया था। अतः, याचिकाकर्ता

केवल इस आधार पर कि अन्य कुछ व्यक्तियों को उक्त लाभ प्रदान किया गया है, स्वयं के लिए उस लाभ का दावा नहीं कर सकते।

6. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुने तथा अभिलेख पर प्रस्तुत याचिकाओं और उनसे संलग्न दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है।

7. गंगमैनों से संबंधित समान प्रश्न **<u>गोविंद एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य</u>**[1] में विचाराधीन आया था, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकन किया था—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"**8.** नियम 2(ख) एवं 2(ज) (नियम, 1976) तथा नियम 2(क) एवं 2(ख) (नियम, 1979) में 'आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी' एवं 'कार्यभारित कर्मचारी' की परिभाषा समान रूप से निम्नानुसार दी गई है—

> नियम 2(ख) & (ज), 1976:
>
> '2(ख) आकस्मिकताता से वेतन पाने वाले कर्मचारी' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्यालय या स्थापना में पूर्णकाल के लिए नियोजित हो और उसे मासिक आधार पर भुगतान किया जाता हो और जिसका वेतन कार्यालय आकस्मिकताताएं पर प्रभारित हों, किन्तु उसमें ऐसे कर्मचारी सम्मिलित नहीं हैं जो वर्ष में केवल कतिपय कालावधियों के लिये ही नियोजित किये जाते हैं;

---

1 2007 (2) CGLJ 29

‘2(ज) “कार्यभारित कर्मचारी' से अभिप्रेत है किसी विनिर्दिष्ट कार्य के वास्तविक निष्पादन कार्य में जो कि उक्त कार्य में सामान्य पर्यवेक्षण से भिन्न है, या ऐसे कार्य के सम्बन्ध में, विभागीय श्रमिकों, स्टोर विद्युत उपस्कर और मशीनरी के चालन तथा उनकी मरम्मत के अधीनस्थ पर्यवेक्षण कार्य में नियोजित कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत वे श्रमिक जिन्हें कि उस कार्य के संबंध में दैनिक भुगतान मिलता हो तथा वे कर्मचारी जो कि उस कार्य के संबंध में मस्टर रोल पद्धति से नियोजित किए जाते हों, नहीं आते हैं’

नियम 2.(क) तथा 2.(ख) – 1979 के नियम:

“2. परिभाषाएँ – इन नियमों में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,

‘2(क) “आकस्मिकताता से वेतन पाने वाले कर्मचारी' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्यालय या स्थापना में पूर्णकाल के लिए नियोजित हो और उसे मासिक आधार पर भुगतान किया जाता हो और जिसका वेतन कार्यालय आकस्मिकताताएं पर प्रभारित हों, किन्तु उसमें ऐसे कर्मचारी सम्मिलित नहीं हैं जो वर्ष में केवल कतिपय कालावधियों के लिये ही नियोजित किये जाते हैं;

‘2(ख) “कार्यभारित कर्मचारी' से अभिप्रेत है किसी विनिर्दिष्ट कार्य के वास्तविक निष्पादन कार्य में जो कि उक्त कार्य में सामान्य पर्यवेक्षण से भिन्न है, या ऐसे कार्य के सम्बन्ध में, विभागीय श्रमिकों, स्टोर विद्युत उपस्कर और मशीनरी के चालन तथा उनकी मरम्मत के अधीनस्थ पर्यवेक्षण कार्य में नियोजित कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वे श्रमिक जिन्हें कि उस कार्य के संबंध में दैनिक भुगतान मिलता हो तथा वे कर्मचारी जो कि उस कार्य के संबंध में मस्टर रोल पद्धति से नियोजित किए जाते हों, नहीं आते हैं;'

9. नियम 2(ग) (नियम, 1979) में "स्थायी कर्मचारी" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है—

"2(ग) 'स्थाई कर्मचारी' से अभिप्रेत है आकस्मिकता से वेतन पाने वाला ऐसा कर्मचारी या कार्यभारित ऐसा कर्मचारी जिसने 1 जनवरी, 1974 को या उसके पश्चात् पन्द्रह वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूर्ण कर ली हो :

[परन्तु आकस्मिकता से वेतन पाने वाले ऐसे कर्मचारी या कार्यभारित ऐसे कर्मचारी, जिसने 1-4-81 को या उसके पश्चात् अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर ली है, के संबंध में स्थायी कर्मचारी से अभिप्रेत है ऐसा कर्मचारी जिसने 1-1-1974 को या उसके पश्चात् दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो ।]

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. याचिकाकर्ता 'गैंगमेन' के रूप में कार्यरत हैं, अतः वे कार्यभार वेतनभोगी कर्मचारी हैं, क्योंकि वे लोक निर्माण विभाग में कार्यों के वास्तविक निष्पादन में संलग्न रहे हैं। नियम 2(ज) (नियम, 1976) के अनुसार दैनिक वेतनभोगी एवं मस्टर रोल कर्मचारी 'कार्यभारित कर्मचारी' की परिभाषा से बाहर हैं। नियम 2(ग) (नियम, 1979) के अनुसार जो कार्यभारित कर्मचारी 1 जनवरी, 1974 के बाद 15 वर्ष या अधिक की सेवा पूर्ण कर चुका है, वह "स्थायी कर्मचारी" कहलाएगा। लोक निर्माण विभाग

मैनुअल (P.W.D. Manual) के पैरा 4.003 में अस्थायी श्रमिक दल तथा स्थाई टोलियाँ का उल्लेख किया गया है।

"**4.003 - (क) – आकस्मिकता श्रमिक टोलियाँ-** जब कार्य दैनिक आकस्मिकता श्रमिक टोलियों द्वारा किया जाता है प्रभार का अधीक्षक एक मस्टर रोल तैयार करेगा जो कार्य व्यक्तियों के नामों/उनकी उपस्थिति, किए गए कार्य एवं इस बाबत् भुगतान योग्य राशि को दर्शित करेगा। मासिक मस्टर रोल यदि आवश्यक हों सात दिवस उपरांत अथवा जैसा सुविधाजनक हो बंद किया जा सकता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ख) स्थाई टोलियाँ :—

(क) स्थाई टोलियाँ- हाजिरी रजिस्टर में स्थाई टोलियों की उपस्थिति की प्रविष्टि की जाएगी । उपस्थिति प्रतिदिन सुबह अभिलिखित की जावेगी ।

मुख्यालय पर उपस्थिति उप अभियंता द्वारा कम से कम सप्ताह में दो बार मुख्यालय के बाहर निरीक्षित की जावेगी । प्रत्येक अनुपस्थिति व्यक्ति के लिए क्रॉस चिन्ह (X) रखा जाएगा एवं कोई भाग रिक्त नहीं छोड़ा जावेगा ।

(ख) निस्तारणपत्र रोल श्रमिकों द्वारा वास्तविक तौर पर कार्य किए गए दिनों की संख्या के आधार पर प्राधिकृत अवकाशों एवं छुट्टियों पर आधारित किया जाएगा ।

(ग) कार्य प्रगति रजिस्टर रखा जावेगा जिसमें निम्नलिखित सूचनाएँ पाँच स्तंभों में अभिलिखित की जावेगी ।

(i) किए जाने वाले कार्य के निर्देश,

(ii) निर्देशों का पालन,

(iii) माप योग कार्य की मात्रा/माप योग्य कार्य के ब्यौरे।,

(iv) उपभोग की गई सामग्री के ब्यौरे ।,

(v) भुगतान योग्य मजदूरी ।

(घ) उप यंत्री मुख्यालय पर सप्ताह में दो बार एवं बाहर स्थल कार्यों के मामले में कम से कम एक बार पुनर्विलोकन करेगा। उप यंत्री/अ.वि.अ. पर्याप्त प्रगति के प्रति आश्वस्त होगा ।

(ङ) नियमित टौली के लिए कोई भर्ती मात्र अ.यं. की अनुमति से की जाएगी। आयु में 58 वर्ष से अधिक होने वाले श्रमिकों को नियोजित/नियमित टोली में जारी नहीं रखा जावेगा ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अस्थायी श्रमिक दल मस्टर रोल कर्मचारी होते हैं, जिनका भुगतान साप्ताहिक या मासिक आधार पर किया जाता है। जबकि स्थाई टोलियाँ (स्थाई टोलियाँ) की उपस्थिति उपस्थिति पंजिका (Attendance Register) में दर्ज की जाती है, जिसे समयपाल द्वारा प्रतिदिन प्रातः दर्ज किया जाता है। पी.डब्ल्यू.डी. मैनुअल के पैरा 4.003 को नियम 2(ह), 1976 के नियमों के साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता कार्यभारित कर्मचारी (कार्यभार वेतनभोगी कर्मचारी) हैं। नियम 2(ग), 1979 के नियमों के अनुसार, यदि कोई कार्यभारित कर्मचारी 1 जनवरी 1974 को या उसके बाद 15 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूर्ण कर चुका है, तो वह स्थायी कर्मचारी (स्थायी कर्मचारी) बन जाता है। निस्संदेह, याचिकाकर्ताओं ने 15 वर्ष से अधिक की सेवा की है, जिसे उत्तरवादीगण द्वारा

विवादित नहीं किया गया है। अतः, याचिकाकर्ता राज्य शासन के स्थायी कर्मचारी बन चुके हैं। इसके अतिरिक्त, नियम 6, 1976 के नियमों में भी कार्यभारित एवं आकस्मिकता भुगतान कर्मचारियों (आकस्मिकता वेतनभोगी कर्मचारीs) के वर्गीकरण का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार वे कर्मचारी जो 1 जनवरी 1974 तक या उससे अधिक 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें स्थायी कार्यभारित या स्थायी आकस्मिकता भुगतान कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करने के लिए पात्र माना जाएगा।

8. वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 का प्रवर्तन इसके मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 26-6-1998 में प्रकाशन के साथ हुआ। उक्त नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबंध (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं। हालाँकि, इन नियमों में कहीं भी यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है कि इनका अनुप्रयोग केवल स्थायी कार्यभारित एवं आकस्मिकता भुगतान कर्मचारियों पर होगा या उन अन्य कर्मचारियों पर भी, जिन्हें आकस्मिकता निधि से मासिक वेतन पर नियुक्त किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. **गोविंद** (पूर्वोक्त) के मामले में सभी प्रावधानों का परीक्षण करने के उपरांत यह निर्णय दिया गया कि वे कार्यभारित एवं आकस्मिकता भुगतान कर्मचारी, जिन्होंने 1 जनवरी, 1974 को या उसके बाद 15 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूर्ण कर ली है, उन्हें स्थायी कार्यभारित (Permanent Workcharged) अथवा स्थायी आकस्मिकता भुगतान कर्मचारी (आकस्मिकता वेतनभोगी कर्मचारी) का दर्जा प्राप्त करने का अधिकार होगा।

10. नियम, 1998 के **नियम 5** में यह प्रावधान किया गया है कि *सभी कार्यभारित एवं आकस्मिकता भुगतान* कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाएगा। नियम 1998 के **नियम 7** में यह स्पष्ट किया गया है कि *कार्यभारित एवं आकस्मिकता भुगतान कर्मचारी* पुनरीक्षित वेतनमान के हकदार होंगे **दिनांक 1-1-1996** से प्रभावशील रूप में। वेतन-अंतर के भुगतान हेतु कुछ शर्तें एवं दिशा-निर्देश भी निर्धारित किए गए हैं। दिनांक **26-6-1998** के परिपत्र में भी यह उपबंध किया गया है कि उचित गणना के पश्चात् पुनरीक्षित वेतनमान **1-1-1996 से** प्रदान किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति आकस्मिकता भुगतान कर्मचारियों के रूप में की गई थी। प्रशासन की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि याचिकाकर्ता कार्यभारित एवं आकस्मिकता भुगतान कर्मचारियों के रूप में नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष पश्चात् अथवा अन्य किसी अवधि के पश्चात् पुनरीक्षित वेतनमान के अधिकारी होंगे या नहीं। भगवान दास माणिकपुरी (याचिकाकर्ता, रिट याचिका क्रमांक 3221/2006) के अभ्यावेदन को अस्वीकार करते समय, राज्य प्राधिकरणों ने वेतन पुनरीक्षण (Pay Revision) प्रदान करने के पहलू पर कोई विचार नहीं किया।

12. किसी परिपत्र द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान को किसी पश्चात् वर्ती तिथि से प्रभावशील करना नियम, 1998 के प्रावधानों के प्रतिकूल होगा, क्योंकि नियम, 1998 में स्पष्ट रूप से यह उपबंधित है कि पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिनांक 1-1-1996 से प्रदान किया जाएगा।

13. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रशासनिक निर्देश/परिपत्र किसी नियम या अधिनियम के प्रावधानों का स्थानापन्न नहीं हो सकते, बल्कि वे केवल उन नियमों या अधिनियमों के उद्देश्य की पूर्ति हेतु पूरक के रूप में कार्य कर सकते हैं। (देखें — **ए. लल्ल (श्रीमती) विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**[2])।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रतिवादी प्राधिकरणों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं के व्यक्तिगत प्रकरणों पर विचार करें, ताकि उन्हें पांचवे वेतनमान (Fifth Pay Scale) का लाभ प्रदान किया जा सके, क्योंकि उनके नियुक्ति आदेश स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि वे कार्यभारित कंटिंजेंसी पेड कर्मचारी के रूप में नियुक्त किए गए थे, यदि वे 1-1-1996 को तथा उसके पश्चात कार्यरत थे। राज्य प्राधिकारियों ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे अस्थायी एवं स्थायी कंटिंजेंसी पेड कर्मचारियों के बीच भेद स्पष्ट हो सके। इसके अतिरिक्त, पर्याप्त अभिलेखों के अभाव में केवल प्रारंभिक 89 दिनों की नियुक्ति अवधि के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता कार्यभारित एवं कंटिंजेंसी पेड कर्मचारी नहीं हैं। अतः राज्य शासन को यह निर्देशित किया जाता है कि वह एक समिति (committee) गठित करे, जो याचिकाकर्ताओं के व्यक्तिगत प्रकरणों की तथ्यों के आधार पर जांच करे और Govind

2 2007 (1) BLJ 265

(supra) में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में यह निर्धारित करे कि यदि वे कार्यभारित एवं कंटिंजेंसी पेड कर्मचारी पाए जाते हैं, तो उन्हें वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 (नियम, 1998) के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाए।

15. पूर्वोक्त विवेचना एवं निर्देशों के साथ, प्रस्तुत रिट याचिकाएँ निराकृत की जाती हैं।

16. इस आदेश की एक प्रति रिट याचिका क्रमांक 3221, 3277, 3398, 3611, 6125, 6126, 6127, 6128, 6129, 6130, 6131, 6426, 6427 एवं 6428/2006 तथा डब्ल्यूपी(एस) क्रमांक 2959, 2960, 2961 एवं 2975/2007 के अभिलेखों में संलग्न की जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Abhishek Banjare, Advocate